

पहले website <https://nfbs.upsdc.gov.in/> को ब्राउज़र पर ओपन करे, तथा आवेदन+ पर क्लिक करे

उत्तर प्रदेश सरकार
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

समाज कल्याण विभाग
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
National Family Benefit Scheme

English

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Digital India
Power To Empower

होम आवेदन + विभागीय लॉगिन + रिपोर्ट + आवेदन पत्र की स्थिति संपर्क सूत्र शासनादेश सहायता

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

एप्लीकेशन फॉर्म भरने हेतु पात्रता

- आयु : न्यूनतम -18 & अधिकतम - 60 वर्ष
- आय : ग्रामीण क्षेत्र - 46080/-रु० & शहरी क्षेत्र - 56460 /-रु०
- अनुदान की धनराशि : 30000 /- रु०

**इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को रु० 30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नवीनतम समाचार महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश शासनादेश

डाउनलोड / देखें - समाचार(अपडेट)

अपडेट 1 का विवरण (Size) - DD-MM-YYYY

अपडेट 1 का विवरण (Size) - DD-MM-YYYY

आवेदन

- नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)
- आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)
- पात्रता (पात्रता हेतु यहाँ क्लिक करें)

विभागीय लॉगिन

योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

श्री असीम अरुण
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

श्री संजीव कुमार गौड़
माननीय राज्य मंत्री
समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति

अब सबसे पहले अपना जनपद,निवासी,तहसील ,ग्राम आदि डिटेल्स भरे | उसके बाद आवेदक को अपना आधार वेरिफिकेशन हेतु आधार पर दर्ज नाम(Name) ,लिंग (जेंडर),जन्मतिथि (Date of Birth),श्रेणी (Category),मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना है |

नोट : आवेदक की डिटेल्स यदि आधार से नहीं सत्यापित हुई तो पंजीकरण पूर्ण नहीं होगा | अतः अपने आधार की डिटेल्स से मिलान करते हुए ही फॉर्म को भरे |





राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम)

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए पंजीकरण फॉर्म (वित्तीय वर्ष 2023-2024)

सूचना : ऑनलाइन पंजीकरण करने के उपरान्त कृपया अपने मोबाइल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म कम्पलीट करें।

जनपद *	SHAMLI	निवासी *	<input type="radio"/> शहरी <input checked="" type="radio"/> ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र हेतु			
तहसील *	Kairana	विकास खण्ड *	KAIRANA
ग्राम पंचायत *	ERTI	ग्राम *	ERTI
आवेदक का नाम *	TestNFBS	लिंग * आधार के अनुसार	स्त्री
जन्मतिथि *	15-05-1992	पिता/ पति का नाम *	Test
श्रेणी *	GENERAL	मोबाइल नं० *	9000000000
			

लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें

यदि पहले से पंजीकृत है? [लॉगिन करें](#)

[होम पेज पर जाये](#)

आधार सत्यापन (Aadhaar Demographic Authentication) :

अब अपना वैलिड आधार नंबर (**Valid Aadhaar Number**) और कैप्चा कोड भर कर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Demographic Authentication) करवाने के लिये **Verify Aadhaar and Submit for Registration** बटन पर क्लिक करे |

आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण(Aadhar Demographic Authentication)

आवेदक का नाम : TestNFBS आवेदक का लिंग : स्त्री आवेदक का जन्मतिथि : 15-05-1992

आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Aadhar Demographic Authentication) हेतु आधार नंबर डालें ->1

मैं आधार संख्या धारक , भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के माध्यम से जनसांख्यिकीय एवं आधार ओटीपी0 अधिप्रमाण का उपयोग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश योजना में करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आधार अधिनियम २०१६ की धारा ७ के अधीन अधिसूचित सरकारी कल्याण योजना के लिए डी० बी० टी० के माध्यम प्रसुविधियों के सवितरण के लिए अपने आधार संख्या का उपयोग करने के लिए भी अपनी सहमति प्रदान करता /करती हूँ। आधार के प्रयोजन के सम्बन्ध में मुझे स्थानीय भाषा में स्पष्ट किया जा चुका है।

I, the holder of Aadhaar number, hereby give my consent to the use of my Aadhaar number for Demographic and Aadhaar OTP authentication through Unique Identification Authority of India for National Family Benefit Scheme, Samaj Kalyan Uttar Pradesh. I also give my consent to use my Aadhaar number for disbursement of benefits through DBT for Government Welfare Scheme notified under Section 7 of Aadhaar Act 2016.The purpose has been explained to me in local language.

 लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें * ->2


->3

आधार से आपके द्वारा भरा गया नाम एवं अन्य डिटेल्स की सत्यापन के बाद आपको Confirmation Message मिलेगा |

अब OTP बेस्ड सत्यापन के लिए **Verify Aadhaar(OTP Based) बटन** पर क्लिक करे

✔ You have successfully Done your Aadhaar Demographic Authentication at Parivarik labh Yojna,Please do OTP Based Aadhaar Authentication to Complete Your Registration Form

आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण(OTP Based) हेतु क्लिक करें

यहाँ क्लिक करें(click here) 

Verify Aadhaar(OTP Based)

यह वेब साइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट, लखनऊ द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है और यूपीडेस्को के अधीन यूपी स्टेट डाटा सेंटर में होस्ट किया गया।

अस्वीकरण: इस साइट पर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। हालाँकि इन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से जारी किए गए दस्तावेजों द्वारा सत्यापित और पूरक करने की आवश्यकता है। एनआईसी किसी भी निर्णय या दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो पदसित डेटा पर आधारित है। यह अस्वीकरण इस वेबसाइट के सभी पृष्ठों के लिए मान्य है।

ओ०टी०पी बेस्ड आधार सत्यापन(OTP Based Aadhaar Authentication)

आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP एवं कैप्चा कोड को भरकर **Verify Aadhaar & Submit Application Form** बटन पर क्लिक करे |

Note : आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP 3 मिनट के लिए ही वैलिड (Valid) रहेगा |

The screenshot displays the 'ओ० टी० पी०(OTP) विवरण' (OTP Details) section. It includes a 'Resend OTP' button, a text input field for the OTP (labeled 'ओटीपी दर्ज करें'), a CAPTCHA image showing 'EwJdw' with a refresh icon, and another text input field for the CAPTCHA (labeled 'कैप्चा कोड दर्ज करें'). A 'Verify Aadhaar & Submit Application Form' button is located at the bottom. Red boxes and arrows highlight the OTP and CAPTCHA input fields, labeled '1' and '2' respectively.

OTP has been sent to Aadhaar Linked Mobile no, Please Enter the OTP and Proceed for OTP Based Authentication

यह वेब साइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट, लखनऊ द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है और यूपीडेस्को के अधीन यूपी स्टेट डाटा सेंटर में होस्ट किया गया।

अस्वीकरण: इस साइट पर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। हालाँकि इन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से जारी किए गए दस्तावेजों द्वारा सत्यापित और पूरक करने की आवश्यकता है। एनआईसी किसी भी निर्णय या दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो प्रदर्शित डेटा पर आधारित है। यह अस्वीकरण इस वेबसाइट के सभी पृष्ठों के लिए मान्य है।

आधार वेरिफिकेशन के बाद आपको **पंजीकरण संख्या** मिल जायेगी | यह आपके **मोबाइल पर SMS** भी जायेगा |
इसे नोट कर ले एवं इसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं |



राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम)

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

होम(Home)

आवेदन पत्र(वित्तीय वर्ष 2023-2024) - पंजीकरण स्लिप



आधार जनसांख्यिकी एवं ओ० टी० पी०(OTP Based) आधारित प्रमाणीकरण सफल

आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, कृपया लॉगिन करें और अपना आवेदन पत्र भरें :-

पंजीकरण संख्या:

3183114207

मोबाइल नं०:

XXXXXX7376

आवेदक का नाम:

TestNFBS

Print Registration Slip

->1

छाप तारीख:- 21-04-2023

Go to Login Page

->2

Back to Registration Form

यह वेब साइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट, लखनऊ द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है और यूपीडेस्को के अधीन यूपी स्टेट डाटा सेंटर में होस्ट किया गया।

अस्वीकरण: इस साइट पर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। हालांकि इन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से जारी किए गए दस्तावेजों द्वारा सत्यापित और पूरक करने की आवश्यकता है। एनआईसी किसी भी निर्णय या दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो प्रदर्शित डेटा पर आधारित है। यह अस्वीकरण इस वेबसाइट के सभी पृष्ठों के लिए मान्य है।

आवेदक लॉगिन :

आवेदक को अपना पंजीकरण संख्या एवं दर्ज मोबाइल मोबाइल भरकर **ओ.टी.पी(OTP) भेजे** बटन पर क्लिक करना होगा ताकि मोबाइल पर OTP मिल सके।



राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम)

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन



पंजीकृत आवेदक लॉगिन

आवेदक पंजीकरण संख्या

पंजीकरण संख्या दर्ज करें

->1

आवेदक मोबाइल नंबर

मोबाइल नंबर दर्ज करें

->2

ओ.टी.पी.(OTP) भेजें

->3

रद्द करें

पंजीकरण संख्या भूल गए?

पंजीकरण नहीं है?  [पंजीकरण करें](#)


मोबाइल पर प्राप्त OTP को भरकर लॉग इन करे बटन पर क्लिक करे ।

Note : आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP 3 मिनट के लिए ही वैलिड (Valid) रहेगा ।



राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम)

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

 Please enter OTP which sent to your Entered Mobile No for Login

Time Left : 2 : 56

Enter OTP:

Resend OTP




कैप्चा कोड दर्ज करें

लॉग इन करें

Close

रद्द करे

पंजीकरण सख्या भूल गए?

पंजीकरण नहीं है?  पंजीकरण करे



राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम)

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

Please enter OTP which sent to your Entered Mobile No for Login

Time Left : 2 : 10

Enter OTP:

240869

[Resend OTP](#)



TU77t

[लॉग इन करें](#)

[Close](#)

[रद्द करें](#)

[पंजीकरण संख्या भूल गए?](#)

पंजीकरण नहीं है? [पंजीकरण करें](#)

लॉगिन के पश्चात आपको डैशबोर्ड जिसमे आपकी पूर्व में दर्ज की गयी डिटेल्स मिलेगी | आपको **आवेदन करे** पर क्लिक करना होगा |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

डैशबोर्ड
आवेदन करे
आवेदन संशोधन करे
मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन
आय प्रमाण पत्र सत्यापन करे
दस्तावेज़ अपलोड करे
जाँच हेतु प्रिंट करे
फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म
फाइनल प्रिंट निकाले
लॉग आउट

सूचना : ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा।

Welcome Sangeeta Mishra वित्तीय वर्ष : 2023-2024

स्टेप-1 पंजीकरण ✓ | स्टेप-2 आधार प्रमाणीकरण ✓ | स्टेप-3 आवेदन ✗ | स्टेप-4 मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन ✗ | स्टेप-5 आय प्रमाण पत्र सत्यापन ✗ | स्टेप-5 दस्तावेज़ अपलोड ✗ | स्टेप-6 जाँच हेतु प्रिंट ✗ | स्टेप-7 फाइनल प्रिंट ✗

पंजीकरण के अनुसार आवेदक विवरण

पंजीकरण संख्या	3183114207		
जनपद	SHAMLI	निवासी	Rural
आवेदक का नाम	TestNFBS	लिंग	Female
जन्मतिथि	15-05-1992	पिता/ पति का नाम	test
श्रेणी	GENERAL	मोबाइल नं०	9000000000

आवेदन की स्थिति देखें (Check Status)
(वित्तीय वर्ष : 2023-24)

सामान्य निर्देश | उपयोगकर्ता पुस्तिका | पंजीकरण पर्ची प्रिंट करे

आवेदन करे पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिस पर अपने बैंक का विवरण , मृतक की मृत्यु का विवरण एवं कैप्चा कोड भरना होगा | विवरण भरने के बाद "Submit Application Form" बटन पर क्लिक करना होगा |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

डैशबोर्ड
आवेदन करें
आवेदन संशोधन करें
मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन
आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें
दस्तावेज अपलोड करें
जाँच हेतु प्रिंट करें
फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म
फाइनल प्रिंट निकालें
लॉग आउट

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र (वित्तीय वर्ष : 2023-2024)

ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा।

पंजीकरण के अनुसार आवेदक मूल विवरण

पंजीकरण संख्या	3183114207	जनपद	SHAMLI
निवासी	Rural	तहसील का नाम	Shamli
ब्लॉक/शहर का नाम	KAIRANA	पंचायत/वार्ड का नाम	BHURA
आवेदक का नाम	TestNFBS	लिंग	Female
जन्मतिथि	15-05-1992	पिता/ पति का नाम	test
श्रेणी	GENERAL	मोबाइल नं०	9000000000

बैंक का विवरण

जनपद * SHAMLI

बैंक का नाम * BANK OF BARODA

आई० एफ० एस० सी० कोड * BARB0SHAMLI

बैंक शाखा का नाम * SHAMLI

बचत खाता संख्या * 14253614723

मृतक का विवरण


मृत्यु का कारण * दुर्घटना

आवेदक का मृतक से सम्बन्ध * पिता

राशन कार्ड नंबर /फैमिली आई० डी० 789584796584

मृतक का व्यवसाय * किसान

मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण * आधार कार्ड

n7xTn  n7xTn

लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें *

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियां पूर्णतया जांच ली गयी हैं। यदि आधिकारिक जांचोपरान्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कोई भी विवरण त्रुटिपूर्ण / असत्य पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा,विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की जाती है तो वह मुझे मान्य होगी। मेरे द्वारा दिए गए आधार नंबर का प्रयोग इस प्रक्रिया में करने के लिए मेरी सहमति है।

Submit Application Form

यदि कोई डिटेल्स फाइनल लॉक से पहले अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके लिए “आवेदन संशोधन करे” पर क्लिक करें।

Note : फाइनल लॉक के बाद डिटेल्स में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

डेशबोर्ड
आवेदन करे
आवेदन संशोधन करे
मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन
आय प्रमाण पत्र सत्यापन करे
दस्तावेज़ अपलोड करे
जाँच हेतु प्रिंट करे
फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म
फाइनल प्रिंट निकालें
लॉग आउट

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र (वित्तीय वर्ष : 2023-2024)

ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा।


पंजीकरण के अनुसार आवेदक मूल विवरण

पंजीकरण संख्या	3183114207	जनपद	SHAMLI
निवासी	Rural	तहसील का नाम	Shamli
ब्लॉक/शहर का नाम	KAIRANA	पंचायत/वार्ड का नाम	BHURA
आवेदक का नाम	TestNFBS	लिंग	Female
जन्मतिथि	15-05-1992	पिता/ पति का नाम	test
श्रेणी	GENERAL	मोबाइल नं०	9000000000

बैंक का विवरण

जनपद *	SHAMLI	बैंक का नाम *	BANK OF BARODA	बैंक शाखा का नाम *	SHAMLI
आई० एफ० एस० सी० कोड *	BARB0SHAMLI	बचत खाता संख्या *	14253614723		

मृतक का विवरण

मृत्यु का कारण *	दुर्घटना	मृतक का व्यवसाय *	किसान
आवेदक का मृतक से सम्बन्ध *	पिता	मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण *	आधार कार्ड
राशन कार्ड नंबर /फेमिली आई० डी०	789584796584		n7xTn

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियां पूर्णतया जांच ली गयीं हैं। यदि आधिकारिक जांचोपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कोई भी विवरण त्रुटिपूर्ण / असत्य पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा, विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की जाती है तो वह मुझे मान्य होगी। मेरे द्वारा दिए गए आधार नंबर का प्रयोग इस प्रक्रिया में करने के लिए मेरी सहमति है।

[Submit Application Form](#)

लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें *

मृत्यु का सत्यापन(Online Death Certificate Verification) :

ऑनलाइन मृतक की मृत्यु का सत्यापन के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र सत्यापन पर क्लिक करें , तथा मृत्यु की तिथि ,मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या,जेंडर,को भरकर **Verify Death Certificate Number** बटन पर क्लिक करें | आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र का अन्य विवरण दिखेगा ,यदि मृत्यु प्रमाण पत्र का विवरण सही है तो **Verify Death Detail** बटन पर क्लिक करे |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

डैशबोर्ड

आवेदन करें

आवेदन संशोधन करें

मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन

आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें

दस्तावेज़ अपलोड करें

जाँच हेतु प्रिंट करें

फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म

फाइनल प्रिंट निकालें

लॉग आउट

मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या का सत्यापन (Death Certificate Number Validation)

1. मृत्यु की तिथि * 2. मृतक का लिंग *

26-08-2021 स्त्री

3. मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या *

D- 0 : 0000 - 0000 - 0000

[Validate Death Certificate Number](#)

NOTE : Example for Death Certificate Number - D-2021: 1-90183-001231

सेवा का नाम(Service Name)	स्थिति(Status)	मृतक का नाम अंग्रेजी में	मृतक का नाम हिंदी में	जीवनसाथी का नाम अंग्रेजी में	जीवनसाथी का नाम हिंदी में	पिता का नाम अंग्रेजी में	पिता का नाम हिंदी में	मृतक की मृत्यु की तिथि	मृतक आयु	मृत्यु पंजीकरण तिथि
मृत्यु प्रमाण पत्र	Available		TestDeath	Test			Test	26-08-2021	86 Years	25-10-2021

[Validate Death Detail](#)

आय सत्यापन (Online Income Certificate Verification) :

आय सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या ,आय प्रमाण पत्र क्रमांक एवं कैप्चा कोड भरे |
आपके सामने विवरण दिखेगा ,यदि आय प्रमाण पत्र विवरण सही है तो **Validate Income Detail** बटन पर क्लिक करे |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

डेशबोर्ड

आवेदन करें

आवेदन संशोधन करें

मूल्य प्रमाण पत्र सत्यापन

आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें

दस्तावेज़ अपलोड करें

जाँच हेतु प्रिंट करें

फाइल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म

फाइल प्रिंट निकालें

लॉग आउट

आय सत्यापन (वित्तीय वर्ष : 2023-2024)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आय प्रमाण पत्र संख्या का सत्यापन (Income Certificate Number Validation)


आवेदक व्यक्तिगत विवरण

पंजीकरण संख्या	3183114207	जनपद	SHAMLI
निवासी	Rural	तहसील का नाम	Shamli
ब्लॉक/शहर का नाम	KAIRANA	पंचायत/वार्ड का नाम	BHURA
आवेदक का नाम	TestNFBS	लिंग	Female
जन्मतिथि	15-05-1992	पिता/ पति का नाम	test
श्रेणी	GENERAL	मोबाइल नं०	9000000000

आय सत्यापन विवरण

आय प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या: आय प्रमाणपत्र क्रमांक:

* आवेदन पत्र के अनुसार



लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें *

Service Name	District	Tehsil	Application No.	Certificate No.	Issue Date	Applicant Name	Father/Husband Name	Family Annual Income	Certificate Status
आय प्रमाण पत्र	सहारनपुर	सहारनपुर	<input type="text" value="0000000000"/>	<input type="text" value="0000000000"/>	2018-08-18	श्री शिव कुमार	श्री जयसिंह	48000	Certificate Issued

दस्तावेज अपलोड(Photo,Sign/Thumb impression and Death Certificate)

दस्तावेज अपलोड करने हेतु “दस्तावेज अपलोड करे” पर क्लिक करे एवं फोटो,हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा |

इसके बाद सभी दस्तावेज अपलोड करके “**सभी दस्तावेज अपलोड करे (Upload all Documents)**” बटन पर क्लिक करना होगा |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

डैशबोर्ड

आवेदन करे

आवेदन संशोधन करे

मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन

आय प्रमाण पत्र सत्यापन करे

दस्तावेज अपलोड करे

जाँच हेतु प्रिंट करे

फाइल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म

फाइल प्रिंट निकाले

लॉग आउट

दस्तावेज अपलोड करे(Upload Documents)

• For Death Certificate, Age-related certificate only PDF Is Allowed uploading and file has to be less than 10 MB! & Applicant's Photo and Signature size should be greater than 1 KB and less than 20 KB. And Image Format shc

दस्तावेज विवरण (Documents Details)

दस्तावेज का नाम (Document Name)	अपलोड विकल्प (Upload)	अपलोड स्थिति(Upload Status)- पूर्वावलोकन
1. फोटो अपलोड करे	<input type="button" value="Choose File"/> download.jfif	
2. हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान अपलोड करे	<input type="button" value="Choose File"/> f.jpg	
3. मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करे	<input type="button" value="Choose File"/> aadhar.pdf	

आवेदक व्यक्तिगत विवरण

पंजीकरण संख्या	3183114207
जनपद	SHAMLI
निवासी	Rural
तहसील का नाम	Shamli
ब्लॉक/शहर का नाम	KAIRANA
पंचायत/वार्ड का नाम	BHURA
आवेदक का नाम	TestNFBS
लिंग	Female
जन्मतिथि	15-05-1992
पिता/ पति का नाम	test
श्रेणी	GENERAL
मोबाइल नं०	0000000000

जांच हेतु प्रिंट : जांच हेतु प्रिंट पर क्लिक करे एवं फॉर्म का प्रिंटआउट निकल कर या ऑनलाइन फॉर्म को जांच सकते है। कोई बदलाव करने के लिए “आवेदन संशोधन करे” , “मृत्यु प्रमाणपत्र सत्यापन करे” , “आय प्रमाणपत्र सत्यापन करे” , “दस्तावेज अपलोड करे” पर क्लिक करके बदलाव कर सकते है ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

डैशबोर्ड

आवेदन करे

आवेदन संशोधन करे

मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन

आय प्रमाण पत्र सत्यापन करे

दस्तावेज अपलोड करे

जांच हेतु प्रिंट करे

फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म

फाइनल प्रिंट निकाले

लॉग आउट

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश)
आवेदन पत्र (वित्तीय वर्ष : 2023-2024)
जांच हेतु प्रिंट
(यह प्रिंट उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने हेतु मान्य नहीं है।)

आवेदक फोटो:		हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:	
पंजीकरण संख्या:	3183114207	मोबाइल नं०:	9000000000
आवेदक का नाम:	TestNFBS	जिला:	SHAMLI
निवासी:	Rural	तहसील का नाम:	Shamli
ब्लॉक / टाउन नाम:	KAIRANA	पंचायत / वार्ड नाम:	BHURA
लिंग:	Female	पिता/ पति का नाम:	test
जन्मतिथि:	15-05-1992	श्रेणी:	GENERAL
वार्षिक आय (रूपये में):	48000	आय प्रमाण पत्र संख्या (तहसील द्वारा जारी):	XXXXXXXXXXXX
आय प्रमाण-पत्र आवेदन संख्या:	XXXXXXXXXXXX	बैंक का जनपद:	SHAMLI
बैंक का नाम:	BANK OF BARODA	बैंक शाखा का नाम:	SHAMLI
आई० एफ० एस० सी० कोड:	BARB0SHAMLI	बचत खाता संख्या:	XXXXXXXXXXXX
मृतक का नाम:	राम देवी	मृतक के पिता/पति का नाम:	स्व० रामाधर
मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या:	XXXXXXXXXXXX	मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि:	25-10-2021
मृत्यु की तिथि:	26-08-2021	मृत्यु का कारण:	दुर्घटना
मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र:	86 Years	मृतक का व्यवसाय:	किसान
आवेदक का मृतक से सम्बन्ध:	पिता	मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण:	आधार कार्ड
राशन कार्ड नंबर /फैमिली आई० डी० :	XXXXXXXXXXXX	मृत्यु प्रमाण पत्र:	मृत्यु प्रमाण प्रतिलिपि देखें
प्रिंट(छाप) दिनांक:	21-06-2023		

फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म (Final Lock) :

फाइनल लॉक करने के लिए फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करे एवं फॉर्म को लॉक कर सकते है | फाइनल लॉक के बाद फॉर्म प्रिंट निकल कर सकते है |

फाइनल लॉक के बाद डिटेल्स में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे | पूरी तरह से चेक करने के बाद फाइनल लॉक करे |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लॉग आउट

देशबोर्ड

- आवेदन करे
- आवेदन संशोधन करे
- मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन
- आय प्रमाण पत्र सत्यापन करे
- दस्तावेज अपलोड करे
- जाँच हेतु प्रिंट करे
- फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म**
- फाइनल प्रिंट निकाले
- लॉग आउट

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश)
आवेदन पत्र (वित्तीय वर्ष : 2023-2024) - फाइनल प्रिंट
(उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने हेतु।)

आवेदक फोटो:		हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:	
पंजीकरण संख्या:	3183114207	जिला:	SHAMLI
आवेदक का नाम:	TestNFBS	मोबाइल नं०:	9000000000
निवासी:	Rural	तहसील का नाम:	Shamli
ब्लॉक / टाउन नाम:	KAIRANA	पंचायत / वार्ड नाम:	BHURA
लिंग:	Female	पिता/ पति का नाम:	test
जन्मतिथि:	15-05-1992	श्रेणी:	GENERAL
वार्षिक आय (रूपये में):	48000	आय प्रमाण पत्र संख्या (तहसील द्वारा जारी):	XXXXXXXXXXXX
आय प्रमाण-पत्र आवेदन संख्या:	XXXXXXXXXXXX	बैंक का जनपद:	SHAMLI
बैंक का नाम:	BANK OF BARODA	बैंक शाखा का नाम:	SHAMLI
आई० एफ० एस० सी० कोड:	BARBOSHAMLI	वचत खाता संख्या:	XXXXXXXXXXXX
मृतक का नाम:	राम देवी	मृतक के पिता/पति का नाम:	स्व० रामाधर
मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या:	XXXXXXXXXXXX	मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि:	25-10-2021
मृत्यु की तिथि:	26-08-2021	मृत्यु का कारण:	दुर्घटना
मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र:	86 Years	मृतक का व्यवसाय:	किसान
आवेदक का मृतक से सम्बन्ध:	पिता	मृतक की उस से सम्बंधित प्रमाण:	आधार कार्ड
फाइनल लॉक करने की तिथि :	21-06-2023	प्रिंट(छाप) की तिथि:	21-06-2023
राशन कार्ड नंबर /फेमिली आई० डी० :	XXXXXXXXXXXX		

घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियाँ सचमुच सही है वह मेरे द्वारा ही भरी गयी है। मेरी व मेरे माता,पिता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु० 46000 (चारसी छेक के लिए) / रु० 56460 (सहस्री छेक के लिए) से कम है। मेरे द्वारा अयकर विभाग से वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं किया गया है। मैंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अतिरिक्त इस योजना में कोई अन्य आवेदन नहीं किया है। आवेदन पत्र में दी गई सूचना एवं संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आय रु० 46000 (चारसी छेक के लिए) / रु० 56460 (सहस्री छेक के लिए) से अधिक होगी व कोई भी अनिच्छित गलत पत्रे जाने से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि इंडात्मक वार्षिक ब्याज सहित वापस कर डूंगा/डुंगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता/होती हूँ तो विभाग मुझे प्रायः धनराशि को वापस देवी की भीति कटौती करने हेतु एवं मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। मैं अपने आधार नंबर का प्रयोग इस योजना में प्रयोग करने की सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक : स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

यह वेब साइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) उत्तर प्रदेश और एनिसि, सचयनद्वारा विकसित और विकसित की गई है और राष्ट्रीय के अधीन पूरी तरह डेटा सेंटर में होस्ट किया गया।

Print